# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 68/2019

निर्णय दिनांक :– 21.1.2020

जयराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी राजलदेसर तहसील रतनगढ जिल चूरू

... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ जिला चूरू

.....अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री सतीस मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकार राज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

## निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम का शुद्वीकरण करवाने हेतु दिनांक 11.10.2019 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त के चार खेत ख.नं. 1028 तादादी 7.5373 हैक्टेयर, ख. नं. 1046 तादादी 0.0759 हैक्टेयर, ख.नं. 1074 तादादी 0.4553 हैक्टेयर व ख.नं. 1077 तादादी 4.6539 कुल तादादी 12.7224 हैक्टेयर वाके रोही आलसर तहसील रतनगढ में स्थित है। प्रार्थी का इस कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी का नाम राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में जयराम चला आ रहा है परन्तु खातेदारी भूमि के राजस्व रेकार्ड में दरामाराम पुत्र रूपाराम दर्ज चला आ रहा है। दरामाराम नाम का व्यक्ति प्रार्थी के परिवार में कोई नही है। प्रार्थी का नाम लिपिकीय भूल से दरामाराम अकिंत हो गया है, इसलिए प्रार्थी का नाम दरामाराम के स्थान पर जयराम संशोधित फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार रतनगढ से अभिलेख के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 के द्वारा न्यायालय में प्राप्त हुई। तहसीलदार, रतनगढ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दरामाराम के स्थान पर जयराम शुद्व किया जाना उचित बताया गया है।

3. बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार राज सुनी गई। प्रार्थना पत्र, एवं प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, एवं तहसीलदार रतनगढ की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2019 का भलीभातिं अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम अन्य सभी दस्तावेजात में जयराम पुत्र रूपाराम अकिंत है। प्रार्थी के दस्तावेजात में निवासी आलसर व प्रा.पत्र में राजलदेसर का निवासी होने का अकंन है। जिस पर प्रार्थी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में राजलदेसर रहने के कारण भूलवश लिखा जाना बताया है तथा आलसर में ही वर्तमान में निवास होना बताया है। तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्व किया जाना उचित बताया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, रतनगढ को आदेश दिया जाता है कि खेत ख.नं. 1028 तादादी 7.5373 हैक्टेयर, ख.नं. 1046 तादादी 0.0759 हैक्टेयर, ख.नं. 1074 तादादी 0.4553 हैक्टेयर व ख.नं. 1077 तादादी 4.6539 कुल तादादी 12.7224 हैक्टेयर वाके रोही आलसर तहसील रतनगढ के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दरामाराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर जयराम पुत्र रूपाराम शुद्व अकिंत किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, रतनगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2020 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ(चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 14:58:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: